INDIA NON JUDICIAL

Government of Bihar

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-BR-2502300570
Certificate Issue Date	:	05-Dec-2025 02:31 PM
GRN No.	:	BHR20251129163648564901E
Unique Doc Reference	:	EST-BR-3202-2500031796
Party Name	:	DR. AMBEDKAR CHINTAN SAMJIK SODH SANSTHAN
Purchased by	:	DR. AMBEDKAR CHINTAN SAMJIK SODH SANSTHAN
Purpose	:	NA Article no (NA)
Stamp Duty Paid (Rs.)	:	100 (One Hundred Only)
Reg. Fee (Rs.)	:	0 (Zero Only)
LLR & P Fee (Rs.)	:	0 (Zero Only)
Miscellaneous Fee (Rs.)	:	0 (Zero Only)
Discore SC (Rs.)	:	0 (Zero Only)
Total Amount (Rs.)	:	100 (One Hundred Only)

AUTHENTICATION
No. 230 Date 05/12/25
Authorised U/S 8(1) of the Notaries Act (1952)
NOTARY Dehri (Rohtas)

दैनिक जागरण 29 – 10 – 2025 में प्रकाशित

प्रामाणिक होंगे एनजीओ के दिए गए कौशल प्रमाणपत्र, दिलाएंगे रोजगार

[illegible] • जागरण

- एनजीओ-एनपीओ का मानकीकरण कर स्किल ईको-सिस्टम के विस्तार की तैयारी
- एनसीवीईटी ने विभिन्न संस्थाओं व कारपोरेट प्रतिनिधियों के साथ मंथन कर बनाई गाइडलाइन

नई दिल्ली: विश्वसनीयता पर लगे तमाम प्रश्न चिन्हों के कारण मोदी सरकार ने गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की भूमिका को निस्संदेह सीमित किया है, लेकिन समाज में व्यापक पहुंच रखने वाली इन संस्थाओं की शक्ति को भी जनहित में भुनाने की तैयारी सरकार कर रही है। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) ने निर्णय किया है कि अपने स्तर से विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण देने वाली गैर सरकारी व गैर लाभकारी संस्थाओं (एनपीओ) का नियमितीकरण किया जाएगा। उनके पाठ्यक्रमों में एकरूपता लाकर प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों का मानकों के अनुरूप और प्रामाणिक बनाया जाएगा, ताकि स्किल ईको-सिस्टम इनके सहारे समाज के अंतिम छोर तक पहुंचे और अधिक से अधिक युवा रोजगार-स्वरोजगार के लिए तैयार हो सकें।

एनसीवीईटी का मानना है कि एनजीओ-एनपीओ का दायरा बहुत बड़ा है। ये संस्थाएं गरीब, पिछड़े व आदिवासी वर्ग के बीच काफी काम करती हैं। इनमें तमाम संस्थाएं अपने स्तर से कौशल कार्यक्रम भी चलाती हैं। उनमें अभ्यर्थी प्रशिक्षण ले भी लें तो प्रामाणिक या कोई मानक न होने के कारण उनकी स्वीकार्यता उद्योगों-कारखानों या शिक्षण संस्थाओं में नहीं होती। इसे देखते हुए ही इस दिशा में काम शुरू हुआ है कि कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में काम करने वाली गैर लाभकारी, गैर सरकारी संस्थाओं का नियमितीकरण कर उन्हें ईको-सिस्टम में शामिल कर विश्वसनीय बनाया जाए। इसके लिए एनसीवीईटी की ओर से पिछले दिनों दो बैठकें देश के प्रमुख एनजीओ और कारपोरेट प्रतिनिधियों के साथ कीं।

IN 2502309088

NOTARY GOVT. OF INDIA

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at https://enibandhan.bihar.gov.in or using enibandhan Mobile App. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website/Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

RN : 111/2001-02 DACSSS BIHAR
Dr. Ambedkar Chintan Samjajik Sodh Sansthan
Admin Office :- Nandan-Kanan, Ward No-23, Eidgah Mohlla
P.O.+P.S- Dehri- On- Sone, Distt- Rohtas (Bihar)- 821307
E-mail :- aibetindia@gmail.com aibetboard@gmail.com
Con. No: 9576740702 8521772770
ESTD - AIBET 2008

Origin of All India for Education & Training : Globally Recognized Professional Institution

Regd. Under S.R.Act 21,1860 by the Department of Registration Government of Bihar, Patna

Ref No :......................   Date:-.........................

प्रामाणिक होंगे एनजीओ के दिए गए कौशल प्रमाणपत्र, दिलाएंगे रोजगार

जितेंद्र शर्मा • जागरण

- एनजीओ-एनपीओ का मानकीकरण कर स्किल ईको-सिस्टम के विस्तार की तैयारी
- एनसीवीईटी ने विभिन्न संस्थाओं व कारपोरेट प्रतिनिधियों के साथ मंथन कर बनाई गाइडलाइन

नई दिल्ली : विश्वसनीयता पर लगे तमाम प्रश्न चिह्नों के कारण मोदी सरकार ने गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की भूमिका को निःसंदेह सीमित किया है, लेकिन समाज में व्यापक पहुंच रखने वाली इन संस्थाओं की शक्ति को भी जनहित में भुनाने की तैयारी सरकार कर रही है। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) ने निर्णय किया है कि अपने स्तर से विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण देने वाली गैर सरकारी व गैर लाभकारी संस्थाओं (एनपीओ) का नियमितीकरण किया जाएगा। उनके पाठ्यक्रमों में एकरूपता लाकर प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों को मानकों के अनुरूप और प्रामाणिक बनाया जाएगा, ताकि स्किल ईको-सिस्टम इनके सहारे समाज के अंतिम छोर तक पहुंचे और अधिक से अधिक युवा रोजगार-स्वरोजगार के लिए तैयार हो सकें।

एनसीवीईटी का मानना है कि एनजीओ-एनपीओ का दायरा बहुत बड़ा है। ये संस्थाएं गरीब, पिछड़े व अल्पसंख्यक वर्ग के बीच काफी काम करती हैं। इनमें तमाम संस्थाएं अपने स्तर से कौशल कार्यक्रम भी चलाती हैं। इनमें अभ्यर्थी प्रशिक्षण ले भी लें तो प्रामाणिक या कोई मानक न होने के कारण उनकी स्वीकार्यता उद्योगों-कारखानों या शिक्षण संस्थाओं में नहीं होती। इसे देखते हुए ही इस दिशा में काम शुरू हुआ है कि कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में काम करने वाली गैर लाभकारी, गैर सरकारी संस्थाओं का नियमितीकरण कर उन्हें ईको-सिस्टम में शामिल कर विश्वसनीय बनाया जाए। इसके लिए एनसीवीईटी की ओर से पिछले दिनों दो बैठकें देश के प्रमुख एनजीओ और कारपोरेट प्रतिनिधियों के साथ कीं।

№ 000720

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या 111 वर्ष 2001-2002

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि डा० अम्बेदकर चिन्तन समाजिक शोध संस्थान

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।

आज तारीख बारह मास जून वर्ष दो हजार एक को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया ।

12.6.01

वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, बिहार, पटना ।

बि०स०मु० (निबन्ध) I —11—15,000—12-8-2000